उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर कैबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2001)

THE UTTAR PRADESH PUBLIC LAND (PERMISSION FOR PLACING AND MAINTAINING OPTICAL FIBRE CABLE) ACT, 2001

(U.P. Act No. 6 of 2001)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अधिनियम, 2001[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 2001]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 27 मार्च, 2001 को अनुमति प्रदान की तथा उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 28 मार्च, 2001 को प्रकाशित हुआ।]

सार्वजनिक भूमि पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है,–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह 14 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,–

(क) ''आवास परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है;

(ख) ''विकास प्राधिकरण'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण से है;

(ग) ''औद्योगिक विकास प्राधिकरण'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है;

(घ) ''लाइसेंसधारी'' का तात्पर्य भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी व्यक्ति से है ;

(ङ) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य आवास परिषद्, किसी विकास प्राधिकरण, किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, किसी पंचायत या नगरपालिका से है;

(च) ''नगर पालिका'' का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत से है;

(छ) ''आप्टिकल फाइबर'' का तात्पर्य ऐसे शीशे या प्लास्टिक के फाइबर से है जो लाइट पल्सेज के रूप में सूचना संचारित करने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए समर्थ हो;

(ज) ''पंचायत'' का तात्पर्य, यथास्थिति, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन गठित किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से है;

---

1. उद्देश्य व कारण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखिये।

(झ) ''सार्वजनिक भूमि'' का तात्पर्य किसी भूमि, सड़क, गली, खड़ंजा या अन्य स्थावर संपत्ति से है, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की हो या उसमें निहित हो या जिसका नियंत्रण या प्रबंध उसके द्वारा किया जाता हो।

अध्यारोही प्रभाव

3–इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होंगे।

राज्य सरकार की अनुमति देने की शक्ति

4–राज्य सरकार को, किसी लाइसेंसधारी को, किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ–साथ, आर–पार, अंदर या उस पर, आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी।

आप्टिकल फाइबर केबल रखने और बनाए रखने की अनुमति

5–(1) कोई लाइसेंसधारी, किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ–साथ, आर–पार, अंदर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति के लिए राज्य सरकार को विहित रीति से आवेदन दे सकता है।

(2) राज्य सरकार, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय, आवेदित अनुमति प्रदान कर सकती है।

(3) कोई लाइसेंसधारी, जिसे उपधारा (2) के अधीन अनुमति प्रदान की गयी हो, किसी आप्टिकल फाइबर केबिल को बिछाने उसे अनुरक्षित करने, उसका परीक्षण करने, मरम्मत करने उसको बदलने या हटाने के प्रयोजनार्थ ऐसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ–साथ, आर–पार, अंदर या उस पर प्रवेश कर सकता है, जिस पर ऐसा केबिल बिछाया जाना प्रस्तावित है या बिछा दिया गया है, और उक्त प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक कार्य करने की भी हकदार होगा।

नियम बनाने की शक्ति

6–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

7–(1) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइवर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह समीचीन समझा गया कि ऐसी निजी संस्थाओं को, जो आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाना चाहती हैं, अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जायं। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी निजी संस्थाओं को, जो ऐसी भूमि, सड़क, गली, खड़ंजा या अन्य स्थावर सम्पत्ति के, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की हो या उसमें निहित हो या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध उसके द्वारा किया जाता हो, नीचे, ऊपर, साथ–साथ, आर–पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए एक विधि बनाई जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय की कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2001 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

———